मंगत राम

बनाम

हरियाणा राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 696/,2009)

27 मार्च 2014

[के.एस. राधाकृष्णन और विक्रमजीत सेन, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860- धारा 498ए और 306- विवाहित महिला की 'शादी के कुछ महीने बाद अपने वैवाहिक घर में जलने से मृत्यु हो गई, जबकि अपीलकर्ता-पति अपने कार्यस्थल पर था- यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह एक आकस्मिक मृत्यु थी या क्या मृतका ने आत्महत्या की थी- धारा 498ए और 306 के तहत अपीलकर्ता-पति को दोषी ठहराया गया- औचित्य- उचित नहीं माना गयाः- अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई मामले की परिस्थितियाँ यह मानने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त हैं कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया था और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के तहत वर्णित परिस्थितियां भी संतुष्ट नहीं है- यह मानने का हर कारण कि, इस मामले में, मृत्यु आकस्मिक थी- आकस्मिक मृत्यु की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मृतका मिर्गी से पीड़ित थी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है- जाहिर है, मृतका रसोई में थी और हो सकता है, खाना पकाने

के दौरान उसे मिर्गी के लक्षण महसूस हुए हों और वह गैस स्टोव पर गिर गई हो और आग पकड़ ली हो, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई- मामले के जांच अधिकारी, डीडब्ल्यू 2, एएसआई ने बताया कि मृतका के बयानों को उन्होंने रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने कहा था कि वह घटना से पहले पिछले तीन वर्षों से मिर्गी से पीड़ित थी और घटना दिनांक को, जब वह चूल्हे पर खाना बना रही थी, तो उसे दौरे का दौरा पड़ा और वह चूल्हे पर गिर गई। आग लग गई- मृतका ने उस समय यह भी बयान दिया था कि जब घटना घटी तो उसका पति ड्यूटी पर गया हुआ था- विचारण न्यायालय के साथ-साथ हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए और 306 के दायरे को ठीक से नहीं समझा- कथित दहेज की मांग रु. 10,000/- और स्डी.डब्ल्यु.टर की मांग, जो अपीलकर्ता द्वारा की गई बताई गई है, स्थापित नहीं हुई है- यह तथ्य कि अपीलकर्ता ने मृतका को उसके माता-पिता के पास वैवाहिक घर में छोड़ दिया था, आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं आएगा- अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए और 306 के तहत अपराध स्थापित करने में सफल नहीं हुआ- साक्ष्य अधिनियम, 1872- धारा 113 ए।

अपीलकर्ता की पत्नी की उसके वैवाहिक घर में जलने से मृत्यु हो गई, जबकि अपीलकर्ता अपने कार्यस्थल पर गया हुआ था। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि यह आकस्मिक मौत थी या मृतका ने आत्महत्या की थी। अपीलकर्ता और मृतका के बीच विवाह एक अंतरजातीय

प्रेम विवाह था और, यह घटना 'शादी के कुछ महीनों बाद हुई। विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपराध बनता है। इसके अलावा, यह माना गया कि अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत भी अपराध बनना पाया गया था, हालांकि उस धारा के तहत कोई आरोप तय नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

अपील स्वीकार करते हुए कोर्ट ने:-

अभिनिर्धारित किया:1. विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने धारा 498ए और 306 आईपीसी के दायरे की उचित विवेचना नहीं की है। मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 व धारा 498ए के तहत अपराध स्थापित करने में सफल नहीं हुआ है। नतीजतन, विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, को रद्द कर दिया गया।

पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगदेव सिंह तलवंडी (1984) 1 एससीसी 596: 1984 (2) एससीआर 50, पंजाब राज्य और अन्य बनाम सुरिंदर कुमार और अन्य (1992) 1 एससीसी 489, 1991 (3) पूरक। एससीआर 553 और जाहिरा हबीबुल्ला एच. 'शेख और अन्य बनाम

गुजरात राज्य और अन्य (2004) 4 एससीसी सी 158, 2004 (3) एससीआर 1050- संदर्भित।

2. धारा 498 एआईपीसी की सामग्री को स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 4, मृतका के नाना की परीक्षा की, जिन्होंने उसके माता-पिता के निधन पर उसका पालन-पोषण किया था। पीडब्लू 4 ने गवाही दी कि आरोपी व्यक्तियों ने दहेज में 10,000/- रुपये और स्डी.डब्ल्यु.टर की मांग की थी और 14.8.1993 को, पीडब्लू 4 ने आरोपियों को 10,000/- रुपये नकद दिए और स्डी.डब्ल्यु.टर की खरीद की व्यवस्था करने का भी वादा किया था। पीडब्लू 4 के दूर के रिश्तेदार पीडब्लू 5 ने यह भी कहा कि 'शादी के 15-20 दिनों के बाद, मृतका आरोपी के साथ पीडब्लू 4 के आवास पर आया था और उस समय, मृतका ने पीडब्लू 4 और अन्य को बताया था कि आरोपी परेशान कर रही थी क्योंकि वह दहेज नहीं लाई थी। पीडब्लू 5 ने यह भी बताया कि डी.डब्ल्यु.लर, फ्रिज, सोफा, डबल बेड जैसी चीजें आरोपी को दहेज के रूप में दी गई थीं। पीडब्लू 4 और 5 ने बताया था कि दहेज की मांग न केवल अपीलकर्ता द्वारा की गई थी, बल्कि उसके माता-पिता और बहन द्वारा भी की गई थी। विचारण न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष धारा 498 ए, 304-बी आईपीसी के तहत अपीलकर्ता के माता-पिता और बहन के खिलाफ अपराध साबित करने में विफल रही थी, जिस पर अभियोजन पक्ष ने सवाल नहीं उठाया था। हालाँकि, यदि पीडब्लू 4 और 5 के साक्ष्य के उस

हिस्से पर बाकी अभियुक्तों के खिलाफ विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो इसे अकेले अपीलकर्ता के खिलाफ नहीं रखा जा सकता है, खासकर जब पीडब्लू 4 और 5 ने कहा था कि दिनांक 13.8.1993 को सभी आरोपियों द्वारा दहेज की मांग की गई थी। पीडब्लू 4 और 5 के साक्ष्य की इस तथ्य के प्रकाश में विवेचना की जानी चाहिए कि वे अंतरजातीय विवाह के खिलाफ थे, क्योंकि अपीलकर्ता अनुसूचित जाति समुदाय से था और मृतका अग्रवाल समुदाय, अगड़े समुदाय से था। 10,000/- रुपये की कथित दहेज की मांग और स्डी.डब्ल्यु.टर की मांग, जो आरोपियों द्वारा की गई थी, न केवल अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ, बल्कि अपीलकर्ता के खिलाफ भी स्थापित नहीं की जा सकी। (पैरा 8, 9)

3.1. जब मृतका जल गई, तो अपीलकर्ता घर पर नहीं था। विचारण न्यायालय ने स्वयं कहा कि फाइल पर ऐसा कोई सबूत नहीं था कि उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था, लेकिन यह मानने के लिए अजीब तर्क अपनाया कि मृतका को उसके माता-पिता के घर पर रखने और छोड़ने में अपीलकर्ता का आचरण क्रूरता और उत्पीड़न का कारण बना। विचारण न्यायालय का एक और दोषपूर्ण तर्क, जिसके कारण विचारण न्यायालय के अनुसार आत्महत्या का कदम उठाया गया, वह यह था कि मृतका ने हताशा और असंतोष के कारण आत्महत्या की थी क्योकि उसके नाना उसे बचाने के लिए नहीं पहुंचे थे। मृतका द्वारा अपने नाना पीडब्लू 4 को भेजे गए पत्रों में, अभियुक्तों द्वारा किसी भी उत्पीड़न या दहेज की मांग का कोई

संकेत नहीं है। पत्रों से केवल यही पता चलता है कि वह घर से बीमार थी और अपने नानाजी को देखना बहुत चाहती थी। (पैरा 11, 12, 13, 14)

3.2. मृतका के आचरण से जो तस्वीर उभरती है वह यह थी कि वह अपने वैवाहिक घर में बहुत परेशान थी और अपने पीहर के घर में पीडब्लू 4 और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बहुत जुड़ी हुई थी। पुलिस कांस्टेबल होने के नाते आरोपी को अपने गांव से दूर विभिन्न स्थानों पर सेवा करनी पड़ी और फिर उसे अनिवार्य रूप से अपनी पत्नी को अपने माता-पिता की देखभाल और सुरक्षा में अपने घर पर छोड़ना पड़ा। हालाँकि, पत्नी को अपने साथ नहीं ले जाने पर विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए टिप्पणी की थी कि आरोपी ने अपनी पत्नी, एक व्यवसायी समुदाय की शिक्षित लड़की, को गाँव में और निचले समुदाय के लोगों के घर में छोड़ दिया था, जिसका जीवन जीने का तरीका, जिसका बात करने का तरीका, जिसका व्यवहार मृतका के परिवार के सदस्यों के बराबर नहीं होगा। इस तर्क पर, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मृतका हैरान, परेशान महसूस कर रही थी और उम्मीद कर रही थी कि आरोपी उसे गांव में देहाती लोगों के साथ छोड़ने के बजाय अपने पोस्टिंग के स्थान पर ले जाएगा, जिसके कारण कोर्ट के अनुसार मृतका में असंतोष और अप्रसन्नता थी। कोई यह नहीं समझ पाता कि न्यायिक रूप से प्रशिक्षित दिमाग इस तरह का तर्क कैसे देगा। (पैरा 16,17)

3.3. विवाहित व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को अपने साथ उस स्थान पर ले जाने में विफलता जहां वह काम कर रहा है या तैनात है, क्रूरता नहीं मानी जाएगी जिसके परिणामस्वरूप पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया हो। पत्नी को पोस्टिंग के स्थान पर ले जाना कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे दोनों की सुविधा, आवास की उपलब्धता और कई कारक। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने पत्नी को अपने माता-पिता के पास वैवाहिक घर में छोड़ दिया था और कोई यह देखने में विफल है कि यह कार्रवाई आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में कैसे आएगी। आश्चर्यजनक रूप से, उच्च न्यायालय ने मृतका को ‘‘उसके माता-पिता की दया पर‘‘ छोड़ने के लिए अपीलकर्ता को दोषी पाया। (पैरा 18,19)

3.4.महिला विभिन्न कारणों से आत्महत्या करने का प्रयास कर सकती है, जैसे अवसाद, वित्तीय कठिनाइयाँ, प्यार में निराशा, घरेलू चिंताओं से थकना, तीव्र या पुरानी बीमारियाँ इत्यादि और जरूरी नहीं कि यह उकसावे के कारण हो। उच्च न्यायालय का यह तर्क कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति तब तक आत्महत्या नहीं करेगा जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए किसी अन्य ने उकसाया न हो, दोषपूर्ण तर्क है। (पैरा 20)

4. आईपीसी की धारा 498ए का स्पष्टीकरण ‘क्रूरता‘ का अर्थ देता है, जिसमें दो खंड शामिल हैं। धारा 498ए को लागू करने के लिए, अभियोजन पक्ष को आरोपी की ओर से जानबूझकर किए गए आचरण को स्थापित

करना होगा और वह आचरण ऐसी प्रकृति का है जिससे पत्नी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की संभावना है। किसी की पत्नी को उसकी पोस्टिंग के स्थान पर ले जाने में विफलता, इस प्रकार के जानबूझकर किए गए आचरण की श्रेणी में नहीं आएगी, जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होने की संभावना हो। विवाहित महिला को पति द्वारा माता-पिता के घर पर छोड़ देना अपने आप में 'क्रूरता' की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने वाला जानबूझकर किया गया आचरण नहीं होगा, खासकर जब पति ऐसी नौकरी कर रहा हो जिसके लिए उसे अपनी पोस्टिंग के स्थान पर दूर रहना पड़ता है। यह नहीं कहा जा सकता कि पत्नी को गाँव के जीवन में विचारण न्यायालय द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को उधार लेते हुए, 'देहाती व्यक्तियों के साथ' में छोड़ दिया जाना, इस तरह के जानबूझकर किए गए आचरण को 'क्रूरता' की अभिव्यक्ति के अंतर्गत माना जाएगा। विचारण न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों ने अपने स्पष्टीकरण के साथ पढ़ी गई धारा 498ए आईपीसी के दायरे को पूरी तरह से गलत समझा। स्पष्ट रूप से, आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 498ए के तहत कोई अपराध नहीं बनना पाया गया है। (पैरा 23)

5. विचारण न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 304 ए आईपीसी के तहत कोई अपराध नहीं बनना पाया गया है, लेकिन उसने उसे धारा 306 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया, भले ही उस धारा में आरोपी के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया गया था। आईपीसी की

धारा 306 के दायरे और दायरे की नीचे के न्यायालयों द्वारा उचित रूप से विवेचना नहीं की गई है। (पैरा 24)

6.1. केवल ये तथ्य कि यदि विवाहित महिला अपनी शादी के सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या कर लेती है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के तहत अनुमान स्वचालित रूप से लागू नहीं होगा। जहां तक वर्तमान मामले का सवाल है, अभियोजन पक्ष यह दिखाने में सफल नहीं हुआ है कि दहेज की मांग थी, न ही निचली अदालतों द्वारा अपनाए गए तर्क यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त होंगे कि यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के तहत आएगा। धारा 113ए न्यायालय को मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी धारणा बनाने का विवेक देता है, जिसका अर्थ है कि जहां आरोप क्रूरता का है, वह धारा 498 ए आईपीसी में 'क्रूरता' शब्द के अर्थ को ध्यान में रखते हुए उस क्रूरता की प्रकृति पर विचार कर सकता है जिसके अधीन महिला थी। (पैरा 26)

6.2. अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई मामले की परिस्थितियां यह मानने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त हैं कि आरोपी ने अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया था और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए मे वर्णित परिस्थितियां भी संतुष्ट नहीं हैं। (पैरा 27)

हंस राज बनाम हरियाणा राज्य (2004) 12 एससीसी 257, 2004 (2) एससीआर 678 और पिनाकिन महीपतराय रावत बनाम गुजरात राज्य (2013) 10 एससीसी 48- पर भरोसा किया गया।

7. निम्नलिखित कारणों से यह मानने का हर कारण मौजूद है कि मौजूदा मामले में मृत्यु आकस्मिक थीः-

- यद्यपि उसके मृत्युपूर्व बयान में यह साबित नहीं हुआ है, लेकिन साक्ष्य में यह सामने आया है कि मृतका पिछले तीन वर्षों से यानी घटना की तारीख 15.3.1993 से पहले मिर्गी से पीड़ित थी। यह तथ्य उस डॉक्टर के साक्ष्य से पुष्ट होता है, जिसकी जांच डी.ड.1 के रूप में की गई थी। उन्होंने बताया कि मृतका मिर्गी से पीड़ित थी और 23.12.1992 से 2.4.1993 तक उसका इलाज चल रही थी। डी.डब्ल्यु. 1 के साक्ष्य को विचारण न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वह मनोचिकित्सक नहीं था। मिर्गी मनोचिकित्सक की समस्या नहीं है। यह तंत्रिका तंत्र का रोग है और एमडी (औषधि) मिर्गी के रोगी का इलाज कर सकती है। डी.डब्ल्यु. 1 के सबूतों को दरकिनार करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क को कायम नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, चूँकि वह मिर्गी से पीड़ित थी, इसलिए आकस्मिक मृत्यु की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जाहिर है, वह रसोई में थी और हो सकता है, खाना पकाने के दौरान उसे

मिर्गी के लक्षण आए हों और वह गैस स्टोव पर गिर गई हो और आग की चपेट में आ गई हो, जिससे उसकी मौत हो गई।

मामले के जांच अधिकारी डीडब्ल्यू 2, एएसआई ने बताया कि उन्होंने मृतका के बयान दर्ज किए थे जिसमें उसने कहा था कि वह घटना से पहले पिछले तीन वर्षों से मिर्गी से पीड़ित थी और 15.9.1993 को जब वह खाना बनाने की तैयारी कर रही थी चूल्हे पर खाना बनाते समय, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और वह चूल्हे पर गिर गई और आग लग गई। उन्होंने उस समय यह भी बताया था कि उनके पति कमल मधुबन में ड्यूटी पर गये हुए थे। मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में डी.डब्ल्यु. 2 के साक्ष्य की विवेचना की जानी चाहिए। (पैरा 28)

केस कानून संदर्भः-

1984 (2) एससीआर 50 पैरा 4 संदर्भित

1991 (3) सप्ल. एससीआर 553 पैरा 4 संदर्भित है

2004 (3) एससीआर 1050 पैरा 4 संदर्भित

2004 (2) एससीआर 678 पैरा 26 पर निर्भर था

(2013) 10 एससीसी सी 48 पैरा 27 पर निर्भर

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 696/2009

आपराधिक अपील संख्या 592-एसबी 1997 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 27.05.2008 से।

अपीलकर्ता की ओर से सतिंदर एस. गुलाटी (कमलदीप गुलाटी के लिए)।

न्यायालय का निर्णय लिखाया गया

के एस राधाकृष्णन, जे.

1. अपीलकर्ता मंगत राम, जो एससी समुदाय का सदस्य है, ने 13.7.1993 को अंबाला में अग्रवाल समुदाय की सदस्य मृतका सीमा से शादी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शादी के कुछ महीने बाद, 15.9.1993 को, अपीलकर्ता ने दहेज की मांग पूरी करने में विफल रहने पर मृतका के शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। शोर-शराबा सुनकर, पड़ोसी इकट्ठे हुए और उसे सिविल अस्पताल, गोहाना ले गए और बाद में, उसे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, रोहतक में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां 17.9.1993 को उसकी मृत्यु हो गई। अपीलकर्ता, उसके माता-पिता और बहन के साथ आईपीसी की धारा 498-ए और 304-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था ।

2. अभियोजन पक्ष ने अपराध को उजागर करने के लिए पीडब्लू 1 से 7 तक की परीक्षा की और विभिन्न दस्तावेज भी पेश किए। बचाव पक्ष की ओर से डीडब्ल्यू 1 से 5 की परीक्षा की गई और आरोपी अपीलकर्ता ने खुद को डीडब्ल्यू 6 के रूप में प्रस्तुत किया। साक्ष्य बंद होने के बाद, आरोपी से दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई, जिसने अपने खिलाफ दिए गए सभी आपत्तिजनक बयानों से इनकार किया। विचारण न्यायालय, मौखिक और दस्तावेजी सबूतों की विवेचना करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध बनना पाया गया था, लेकिन अन्य तीन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं बनना पाया गया। विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि अपीलकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304-बी के तहत कोई अपराध नहीं बनना पाया गया था। हालाँकि, यह माना गया कि अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध बनना पाया गया था, हालांकि उस धारा के तहत कोई आरोप तय नहीं किया गया था। अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 498-ए आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और उसे तीन साल की कैद और 1,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई, और भुगतान न करने पर 6 महीनो के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास (आरआई) भुगताने के आदेश दिए गए। अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 306 के तहत भी दोषी ठहराया गया

और सात साल की अवधि के लिए कारावास और 4,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई, और भुगतान न करने पर दो साल के लिए आरआई की सजा भुगतनी थी।

3. विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने 1997 की आपराधिक अपील संख्या 592-एसबी दायर की, जो 3.5.2007 को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आई, कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः-

"उपस्थितः- श्रीमती रितु पुंज, डीएजी, हरियाणा

श्रीमती हरप्रीत कौर ढिल्लों, अधिवक्ता जिन्हे न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया है।

सुना गया।

परिणामतः खारिज।

4. उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने 2007 की एसएलपी (आपराधिक) संख्या 7578 प्रस्तुत की, जिसे बाद में 2008 की आपराधिक अपील संख्या 182 में बदल दिया गया। आपराधिक अपील 25.1.2008 को इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आई और इस न्यायालय ने निर्णय के समर्थन में कारण दर्ज किए बिना आपराधिक अपीलों का निपटारा करने की उच्च न्यायालय की प्रथा की निंदा की। इस न्यायालय के निर्णयों पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगदेव सिंह तलवंडी (1984) 1

एससीसी 596, पंजाब राज्य और अन्य बनाम सुरिंदर कुमार और अन्य (1992) 1 एससीसी 489 और जाहिरा हबीबुल्ला एच. शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2004) 4 एससीसी 158 पर भरोसा करते हुए इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और उच्च न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर अपील सुनने का निर्देश दिया।

5. उच्च न्यायालय ने तब आपराधिक अपील पर विचार किया और अपने दिनांक 27.5.2008 के फैसले के तहत गुण-दोष के आधार पर उसे खारिज कर दिया, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ दी गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई थी। उसी से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सतिंदर एस. गुलाटी ने हमें पक्षों द्वारा पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के बारे में विस्तार से बताया और प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय का निर्णय भी पूर्णतया परिस्थितियों पर आधारित है। विरोधाभासों और अनुमानों का और अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ा गया था और, हर चरण में, निचली अदालतों ने अपने स्वयं के अजीब तर्क को अपनाया था जो गवाहों के बयान से सामने नहीं

आया था। विद्वान वकील ने बताया कि, विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के पूरे फैसले में, कोई यह देख सकता है कि निचली अदालतें अंतरजातीय विवाह करने के आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त थीं और उनकी राय थी कि ऐसे विवाहों की असंतोष और अप्रसन्नता से दुर्दशा होगी। विद्वान वकील ने बताया कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि मृतका घटना के पिछले कुछ वर्षों से मिर्गी से पीड़ित था और मौत दुर्घटना के कारण हुई हो सकती है और किसी भी दृष्टि से, यह एक मानव हत्या नहीं थी। इसके अलावा, यह बताया गया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि घटना के समय अपीलकर्ता घर पर था। विद्वान वकील ने यह भी कहा कि विचारण न्यायालय ने आरोपी को धारा 304-बी आईपीसी के तहत दोषी नहीं पाए जाने के बाद अपराध को धारा 306 आईपीसी में बदलने में त्रुटि की है। विद्वान वकील ने बताया कि धारा 304-बी के साथ-साथ धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध की सामग्री पूरी तरह से अलग है और विचारण न्यायालय ने धारा 306 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटि की है। विद्वान वकील ने यह भी बताया कि दहेज की मांग का कोई सबूत नहीं है और आईपीसी की धारा 498-ए के तहत दर्ज की गई सजा भी बिना किसी सामग्री के है। अपने विभिन्न तर्कों के समर्थन में, विद्वान वकील ने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का भी संदर्भ दिया, जिन पर हम इस निर्णय के उत्तरार्ध में विचार करेंगे।

7. हमें राज्य के पक्ष में किसी भी वकील को सुनने का लाभ नहीं मिला, भले ही सुनवाई कुछ दिनों से चल रही थी। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने हमें अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष की ओर से परीक्षो गए गवाहों के बयानों के साथ-साथ न्यायालय के समक्ष रखे गए दस्तावेजी साक्ष्यों से भी अवगत कराया।

8. हम पहले यह परीक्षा कर सकते हैं कि क्या अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध बनना पाया गया है। माना जाता है कि अपीलकर्ता और मृतका के बीच विवाह एक अंतरजातीय प्रेम विवाह था और शादी के कुछ महीनों के बाद, 17.9.1993 को अपने वैवाहिक घर में जलने से उसकी मृत्यु हो गई। सवाल यह है कि क्या शादी की तारीख और घटना की तारीख के ठीक पहले और बीच की अवधि के दौरान आरोपी की ओर से दहेज की कोई मांग की गई थी? आईपीसी की धारा 498-ए की सामग्री को स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 4, मृतका के नाना से पूछताछ की, जिन्होंने उसके माता-पिता के निधन पर उसका पालन-पोषण किया था। पीडब्लू 4 के बयान को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि वह अपीलकर्ता के साथ अपनी पोती के अंतरजातीय विवाह के खिलाफ था, जो अनुसूचित जाति समुदाय से थी, जबकि मृतका अग्रवाल समुदाय से थी। पीडब्लू 4 ने अपनी जिरह में कहा कि वह शादी के लिए सहमत हो गया था क्योंकि मृतका अपीलकर्ता से शादी करने पर अड़ी हुई थी। पीडब्लू 4 ने यह भी कहा कि उसने आरोपी

अपीलकर्ता के घर में आयोजित टीका समारोह में भाग नहीं लिया था। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि उसने शादी से पहले आरोपी के परिवार के किसी अन्य सदस्य से संपर्क नहीं किया था। पीडब्लू 4 ने जिरह में कहा कि वह अपीलकर्ता को ऐसी शादी करने से रोकने के लिए शादी से पहले मधुबन गया था और उक्त उद्देश्य के लिए, वह डीएसपी, मधुबन से मिला, जिन्होंने तब मंगत राम को बुलाया, लेकिन वह सीमा से शादी करने पर अड़ा था। हमें इस तथ्य के आलोक में पीडब्लू 4 के साक्ष्य की विवेचना करनी होगी कि वह आरोपी और मृतका के बीच अंतरजातीय विवाह के पूरी तरह से खिलाफ था। पीडब्लू 4 ने यह भी बताया कि आरोपी व्यक्तियों ने दहेज में 10,000/- रुपये और एक स्कूटर की मांग की थी और 14.8.1993 को, पीडब्लू 4 ने आरोपियों को 10,000/- रुपये नकद दिए और एक स्कूटर के खरीद की व्यवस्था करने का भी वादा किया था।

9. पीडब्लू 5, पीडब्लू 4 के एक दूर के रिश्तेदार ने यह भी कहा कि शादी के 15-20 दिनों के बाद, मृतका आरोपी के साथ पीडब्लू 4 के आवास पर आया और उस समय, मृतका ने पीडब्लू 4 और अन्य को बताया था कि आरोपी दहेज नहीं लाने पर उसे परेशान कर रही थी। पीडब्लू 5 ने यह भी बताया कि कूलर, फ्रिज, सोफा, डबल बेड जैसी चीजें आरोपी को दहेज के रूप में दी गई थीं। पीडब्लू 4 और 5 ने बताया था कि दहेज की मांग न केवल आरोपी मंगत राम द्वारा की गई थी, बल्कि उसके माता-पिता और बहन द्वारा भी की गई थी। विचारण न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया

कि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 498 ए, 304-बी के तहत आरोपी के माता-पिता और बहन के खिलाफ दोष साबित करने में विफल रहा , जिस पर अभियोजन पक्ष ने सवाल नहीं उठाया था। हालाँकि, यदि पीडब्लू 4 और 5 के साक्ष्य के उस हिस्से पर बाकी आरोपियों के खिलाफ विश्वास नहीं किया जा सका, तो हम यह देखने में विफल हैं कि इसे अकेले आरोपी के खिलाफ कैसे रखा जा सकता है, खासकर जब पीडब्लू 4 और 5 ने कहा था कि मांग दिनांक 13.8.1993 को सभी आरोपियों द्वारा दहेज के लिए हत्या कर दी गई। पीडब्लू 4 और 5 के साक्ष्य की इस तथ्य के प्रकाश में विवेचना की जानी चाहिए कि वे अंतरजातीय विवाह के खिलाफ थे, क्योंकि अपीलकर्ता अनुसूचित जाति समुदाय से था और मृतका अग्रवाल समुदाय से था, जो एक अगड़ा समुदाय है। 10,000/- रुपये की कथित दहेज की मांग और स्कूटर की मांग, जो आरोपियों द्वारा की गई थी, न केवल अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ, बल्कि अपीलकर्ता के खिलाफ भी स्थापित नहीं की जा सकी।

10. अब हम दहेज की मांग के अलावा, इस बात की भी परीक्षा कर सकते हैं कि क्या अपीलकर्ता ने मृतका के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था और क्या उसने मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया था। हमने पहले ही तथ्यों पर पाया है कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित नहीं कर सका कि अपीलकर्ता की ओर से दहेज की कोई मांग थी। एक बार जब ऐसा पाया जाता है, तो हमें यह परीक्षा करनी होगी कि मृतका के साथ ऐसी

कौन सी क्रूरता की गई थी जिससे वह अपना जीवन समाप्त करने के लिए उकसाए। साक्ष्यों में यह बात सामने आई है कि जब मृतका जल गया तो आरोपी घर पर नहीं था। इस संबंध में, हम विचारण न्यायालय के फैसले के पैरा 25 का उल्लेख कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैः-

> "25. दूसरे, सीमा की अस्वाभाविक मौत हुई। अभियोजन पक्ष को सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह स्थापित करना था कि क्या सीमा को दहेज की कमी के कारण क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनना पाया गया था या दहेज की एक नई मांग थी, फाइल पर ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उसके साथ उत्पीड़न व क्रूरता की गई हो। बिधि चंद और अविनाश चंदर दोनों उपस्थित हुए। उन्होंने यह नहीं बताया कि शादी के समय दिए गए दहेज की कमी के कारण सीमा को क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा।
>
> ...(जोर दिया गया)

11. विचारण न्यायालय का खुद कहना है कि फाइल पर ऐसा कोई सबूत नहीं था कि उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो. लेकिन, विचारण न्यायालय ने अपने फैसले के पैरा 26 में यह मानने के लिए एक अजीब तर्क अपनाया कि आरोपी ने मृतका के साथ क्रूरता का व्यवहार किया था, जो इस प्रकार हैः-

"26. ....... व्यवसायी समुदाय की एक पढ़ी-लिखी लड़की को ग्रामीण जीवन में और निचले समुदाय के लोगों के घर में छोड़ दिया गया था, जिनका रहन-सहन, जिनके बोलने का तरीका, जिनके व्यवहार का तरीका परिवार के सदस्यों के बराबर नहीं था। सीमा की, जब से मृत्यु हुई है। ऐसे में सीमा हैरान परेशान महसूस कर रही थी. वह मंगत राम से अपेक्षा करती थी कि उसे उसकी पोस्टिंग के स्थान पर उसके साथ रखा जाए और देहाती जीवन में देहाती व्यक्तियों की संगति में न छोड़ा जाए और यही असंतोष और नाखुशी का कारण प्रतीत होता है। यह अनुभव किया गया है कि ऐसा विवाह वर्तमान विवाह की तरह ही दुर्भाग्य को प्राप्त होता है। बिधि चंद के बयान और प्रदर्श पीई और पीएफ पत्रों से यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि सीमा आरोपी मंगत राम के व्यवहार से पूरी तरह से नाखुश और असंतुष्ट थी, क्योंकि उसने उसे उसकी सास जीवनी की दया पर ग्रामीण जीवन में छोड़ दिया था, इसीलिए, वह अपने नाना को बचाने के लिए बुला रही थी, लेकिन बिधि चंद, जैसा कि उन्होंने समझाया था, गांव बड़ौदा नहीं जा सके क्योंकि उनके बेटे और उनकी पत्नी की चंडीगढ़ में दुर्घटना हो गई थी और वह वहां गया।"

(जोर दिया गया)

12. इसके अलावा, पैरा 31 में, विचारण न्यायालय ने कहा है कि मंगत राम का सीमा को बड़ौदा में अपने घर पर रखना और छोड़ना सीमा के प्रति क्रूरता और उत्पीड़न का कारण बना। पैरा 32 में विचारण न्यायालय ने एक बेहद अजीब तर्क भी दर्ज किया है, जो इस प्रकार हैः-

> “32. आरोपी को बहुत ही सुरक्षित तरीके से बचाव में लाया गया और उसने बचाव में सबूत पेश किया कि सीमा अपनी शादी से पहले मिर्गी से पीड़ित थी। यदि यह बात मंगत राम को मालूम होती तो वह कभी भी सीमा से विवाह नहीं करता। उसके साथ सेक्स का आनंद लेने के बाद, उसने इस महिला को छोड़ दिया होगा...

13. हम यह देखने में असफल हैं कि अदालत इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकती है कि यह जानते हुए कि मृतका मिर्गी से पीड़ित था, उसने मृतका से शादी नहीं की होगी। अगर कोर्ट के तर्क को मान लिया जाए तो मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति से कोई भी शादी नहीं करेगा और न ही कर सकता है। विचारण न्यायालय का एक और दोषपूर्ण तर्क, जो विचारण न्यायालय के अनुसार, आत्महत्या के कृत्य के लिए प्रेरित हुआ, इस प्रकार हैः-

> “33. ......उसे उसके नाना विधि चंद ने पाला है और उससे उससे प्रेम विवाह किया है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने

सीमा का भोग करके अपनी सेक्स की हवस बुझाई और फिर उसे गांव की देहाती जिंदगी में छोड़ दिया. सीमा हताशा और असंतोष के कारण उस जीवन से छुटकारा पाना चाहती थी। जब उसके नाना उसे बचाने नहीं पहुंचे तो उसने काफी प्रताड़ित होकर अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया और अपनी जान दे दी।

..............(जोर दिया गया)

14. रेखांकित भाग इंगित करता है कि मृतका ने हताशा और असंतोष के कारण आत्महत्या की थी और इस कारण से कि उसके नाना उसे बचाने नहीं पहुंचे। इस संबंध में मृतका द्वारा अपने नाना को भेजे गए कुछ पत्रों का संदर्भ समीचीन है। पीडब्लू 4 को लिखे उसके पत्र दिनांक 18.8.1993 (अनुलग्नक पी-17) में, आरोपी द्वारा किसी भी उत्पीड़न या दहेज की मांग का कोई संकेत नहीं है। पत्र केवल यह दर्शाता है कि वह गृहासक्त थी और अपने नानाजी को देखने की बहुत इच्छा रखती थी, उसी का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार हैः-

"........लेकिन आपको आना चाहिए यह बहुत जरूरी काम है. अगर तुम 25 या 26 को नहीं आओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी. इसलिए तुम दोनों आ जाओ. भले ही सोमनाथ मामा तुम्हें बड़ौदा जाने के लिए मना कर देंगे

लेकिन तुम दोनों को आना चाहिए, यह महत्वपूर्ण काम है। अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी बेटी अपनी जान दे देगी. और क्या लिखूं तुम तो काफी समझदार हो. यदि पत्र में कोई गलती हो तो क्षमा करें। मैंने बंदोई को भी एक पत्र भेजा। उस दिन हम तीन बजे बड़ौदा पहुँच गये। हम दोनों आप सभी को नमस्ते कहते हैं। राहुल साहुल को प्यार. मुझे आप सभी की बहुत याद आती है. डैडीजी मेरा पत्र पाकर तुरंत 25 या 26 को बड़ौदा आ जाना, जरूरी काम है। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी इसलिए तुम्हें और मामाजी को आना चाहिए। मैं अपना पत्र बंद कर रही हूं. मैं फिर लिख रही हूं कि डैडीजी आप आइए. यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है. अगर आप 25 या 26 तारीख को नहीं आएंगे तो 27 तारीख को आपको मेरी मौत का टेलीफोन आएगा।"

15. उसके द्वारा पीडब्लू 4 को भेजे गए दिनांक 11.9.1997 के एक अन्य पत्र का भी संदर्भ दिया जा सकता है। उस पत्र में भी किसी उत्पीड़न या दहेज की मांग की शिकायत नहीं थी. दूसरी ओर, पत्र में इस बात पर फिर से जोर दिया गया है कि वह गृहासक्त थी और अपने नाना को देखना चाहती थी, पत्र का मुख्य भाग इस प्रकार हैः-

"..........डैडीजी आप भले ही एक रात के लिए न आएं लेकिन एक-दो घंटे के लिए मुझसे मिलने जरूर आएं। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है. डैडीजी आप मेरे पत्र का उत्तर देते रहें, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे राहुल, साहुल, राजू, सोनू, शालू और रचित, सपना, आरती और आप सभी की याद आती है। मैं तुम्हें याद करके सारा दिन और पूरी रात रोती रहती हूं. मैं आप सभी से मिलना चाहता हूं. नानाजी 17 या 18 तारीख को मेरा पत्र पढ़कर तुरंत बड़ौदा आएँ, यह बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें आना चाहिए. पिताजी यदि आप मेरा पत्र पढ़कर भी नहीं आओगे तो मैं आपकी प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं अपनी जान दे दूँगी। पत्र मिलने पर उसका उत्तर देना। मेरी तरफ से, मेरी सास की तरफ से और मंगत की तरफ से हम आप सभी को नमस्ते कहते हैं। बच्चों को प्यार दें. पत्र की लेखिका आपकी बेटी। (सीमा)"

16. मृतका के आचरण से जो तस्वीर उभरती है वह यह है कि वह अपने वैवाहिक घर में बहुत परेशान थी और अपने घर में पीडब्लू 4 और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बहुत जुड़ी हुई थी। पुलिस कांस्टेबल होने के कारण आरोपी को अपने गाँव से दूर विभिन्न स्थानों पर सेवा करनी पड़ती थी और फिर उसे अनिवार्य रूप से अपनी पत्नी को अपने माता-पिता की

देखभाल और सुरक्षा में अपने घर पर छोड़ना पड़ता था। हालाँकि, पत्नी को अपने साथ नहीं ले जाने पर विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए टिप्पणी की थी कि आरोपी ने अपनी पत्नी, एक व्यवसायी समुदाय की शिक्षित लड़की, को एक गाँव और निचले समुदाय के लोगों के घर में छोड़ दिया था जिनका रहन-सहन, जिनका बातचीत का ढंग, जिनका आचरण मृतका के परिवार के सदस्यों के बराबर नहीं होगा। इस तर्क पर, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मृतका परेशान, उत्तेजित महसूस कर रही थी और उम्मीद कर रही थी कि आरोपी उसे अपने पोस्टिंग के स्थान पर ले जाएगा, न कि किसी गाँव में देहाती लोगों के साथ छोड़ने के लिए, जो कोर्ट के अनुसार, असंतोष और अप्रसन्नता का कारण था।

17. हम यह समझने में असफल हैं कि न्यायिक रूप से प्रशिक्षित दिमाग इस तरह के तर्क के साथ कैसे सामने आएगा और, कम से कम, हमें उम्मीद थी कि उच्च न्यायालय ने उस दोषपूर्ण तर्क को सही कर दिया होगा, लेकिन हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उच्च न्यायालय ने एक और तरीका अपनाया अजीब तर्क, जो इस प्रकार हैः-

> "जब मृतका ने अपने नाना की इच्छा के विरुद्ध अपनी मर्जी से अपीलकर्ता-अभियुक्त के साथ विवाह किया था, तो मृतका से आत्महत्या करने की उम्मीद नहीं की गई थी क्योंकि उसे अपीलकर्ता-अभियुक्त के साथ रहना था। दूसरी

ओर, अपीलकर्ता-अभियुक्त ने कर्मचारी होने के नाते मृतका को अपनी पोस्टिंग के स्थान पर अपने साथ नहीं रखा था। मृतका अपीलकर्ता-अभियुक्त के माता-पिता के साथ रह रही थी। इसलिए, अपीलकर्ता-अभियुक्त के कार्यों ने मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया।

18. हम यह देखने में असफल हैं कि एक विवाहित व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को अपने साथ उस स्थान पर ले जाने में विफलता, जहां वह काम कर रहा है या तैनात है, क्रूरता के समान होगी, जिसके परिणामस्वरूप पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित होना पड़ेगा। पत्नी को पोस्टिंग के स्थान पर ले जाना कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे दोनों की सुविधा, आवास की उपलब्धता और कई कारक। मौजूदा मामले में, आरोपी ने पत्नी को अपने माता-पिता के पास वैवाहिक घर में छोड़ दिया था और हम यह देखने में असफल रहे कि यह कार्रवाई आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में कैसे आएगी।

19. हम बता सकते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं मृतका द्वारा अपने नाना को लिखे गए पत्रों पीई और पीएफ पर भरोसा करने के बाद उल्लेख किया गया है कि इन पत्रों में अभियुक्तों द्वारा दहेज की मांग का कोई संदर्भ नहीं था, लेकिन यह कहा गया कि मृतका अभियुक्तों के व्यवहार से नाखुश और परेशान थी। उसे अपने माता-पिता के पास छोड़ दिया।

हमने उन पत्रों को देखा है और उन पत्रों में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि मृतका आरोपी के व्यवहार से परेशान था। दूसरी ओर, पत्रों से केवल यह पता चलता है कि मृतका अत्यधिक गृहासक्त थी और अपने नाना का साथ चाहती थी। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उच्च न्यायालय ने मृतका को ष्उसके माता-पिता की दया परष् छोड़ने के लिए आरोपी को दोषी पाया। फिर, उच्च न्यायालय ने एक और अजीब तर्क दिया, जो इस प्रकार हैः-

> ‘‘शादी के तुरंत बाद, अगस्त और सितंबर, 1993 के महीनों में दो पत्र लिखे गए थे। कर्मचारी होने के नाते अपीलकर्ता-अभियुक्त को मृतका को अपने साथ रखना चाहिए था।‘‘ किसी भी समझदार व्यक्ति को तब तक आत्महत्या नहीं करनी चाहिए जब तक उसे ऐसा करने के लिए उकसाया न जाए। अपीलकर्ता-अभियुक्त की हरकतें मृतका को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली क्रूरता के समान हैं। आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषसिद्धि विचारण न्यायालय द्वारा सही ढंग से दर्ज की गई थी। हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं. यदि पति को इस आरोप पर संदेह का लाभ दिया जाता है कि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं, कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं, जबकि विवाह अंतरजातीय था, तो मृतका या

शिकायतकर्ता को किस प्रकार के साक्ष्य एकत्र करने थे। (जोर दिया गया)

20. हमें उच्च न्यायालय के इस तर्क को समझना मुश्किल लगता है कि ‘‘कोई भी समझदार व्यक्ति तब तक आत्महत्या नहीं करेगा जब तक उसे ऐसा करने के लिए उकसाया न जाए।‘‘ एक महिला विभिन्न कारणों से आत्महत्या करने का प्रयास कर सकती है, जैसे अवसाद, वित्तीय कठिनाइयाँ, प्यार में निराशा, घरेलू चिंताओं से थकना, तीव्र या पुरानी बीमारियाँ इत्यादि और जरूरी नहीं कि यह उकसावे के कारण हो। उच्च न्यायालय का यह तर्क कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति तब तक आत्महत्या नहीं करेगा जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए किसी अन्य ने उकसाया न हो, एक दोषपूर्ण तर्क है।

21. हम यह समझने में असफल हैं कि उच्च न्यायालय यह कैसे कह सकता है कि आरोपी को एक पुलिसकर्मी होने के नाते अपनी पत्नी को अपने कार्यस्थल पर अपने साथ रखना चाहिए था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अपने आप से एक गलत सवाल उठाया कि यदि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है, तो मृतका या शिकायतकर्ता को किस प्रकार के साक्ष्य एकत्र करने थे, जब विवाह अंतरजातीय होता है, तो हम इस तर्क को पचाने में विफल हो जाते हैं।

22. हमें यह कहते हुए खेद है कि विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी आईपीसी की धारा 498-ए और 306 के दायरे की उचित विवेचना नहीं की है। धारा 498-ए आईपीसी, आसान संदर्भ के लिए नीचे दी गई हैः-

> "498-ए. जो कोई, किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होते हुए, ऐसी महिला के साथ क्रूरता करेगा, उसे तीन साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
>
> स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, क्रूरता का अर्थ है-
>
> क) कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जा सके या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा होय या
>
> बी) महिला का उत्पीड़न जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से होता है, यह उसके या उससे

संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण होता है।

23. धारा 498-ए का स्पष्टीकरण श्क्रूरताश् का अर्थ देता है, जिसमें दो खंड शामिल हैं। धारा 498-ए को लागू करने के लिए , अभियोजन पक्ष को आरोपी के जानबूझकर किए गए आचरण को स्थापित करना होगा और वह आचरण ऐसी प्रकृति का है जिससे पत्नी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हम यह देखने में असफल हैं कि किसी की पत्नी को उसकी पोस्टिंग के स्थान पर ले जाने में विफलता, इस तरह की प्रकृति का जानबूझकर किया गया आचरण होगा जो एक महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर सकता है। हम यह देखने में असफल हैं कि किसी विवाहित महिला को पति द्वारा माता-पिता के घर पर छोड़ देना अपने आप में क्रूरता की अभिव्यक्ति के तहत जानबूझकर किया गया आचरण होगा, खासकर तब जब पति ऐसी नौकरी कर रहा हो जिसके लिए उसे उसकी पोस्टिंग के स्थान पर दूर रहना पड़ता है। हम यह देखने में भी असफल रहे कि कैसे एक पत्नी को गांव के जीवन में विचारण न्यायालय द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को उधार लेते हुए ‘‘देहाती व्यक्तियों की संगति में‘‘ छोड़ दिया गया, इस तरह के जानबूझकर किए गए आचरण को क्रूरता की अभिव्यक्ति के अंतर्गत माना जाएगा। हमारे विचार में, विचारण न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों ने अपने स्पष्टीकरण के साथ पढ़ी गई धारा 498-ए आईपीसी के दायरे को पूरी तरह से गलत समझा है और हमारा

स्पष्ट विचार है कि धारा 498-ए के तहत कोई अपराध नहीं बनना पाया गया है।

24. हमने पहले ही संकेत दिया है कि विचारण न्यायालय ने पाया है कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304-बी के तहत कोई अपराध नहीं बनना पाया गया है, लेकिन उसने आरोपी को धारा 306 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया, भले ही उस धारा के तहत उसके खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया गया हो। अभियुक्त। आईपीसी की धारा 306 के दायरे और दायरे की नीचे के न्यायालयों द्वारा उचित रूप से विवेचना नहीं की गई है। आईपीसी की धारा 306 इस प्रकार हैः-

> "306. यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी ऐसी आत्महत्या के लिए उकसाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। आत्महत्या के लिए उकसाना उन व्यक्तियों के मामले तक ही सीमित है जो आत्महत्या में सहायता करते हैं या उकसाते हैं। आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के मामले में उकसावे की परिभाषा आईपीसी की धारा 107 में होनी चाहिए।

> किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाना या अपराध करने की साजिश में शामिल होना, किसी व्यक्ति को अपराध करने में सहायता करना या जानबूझकर मदद करना दुष्प्रेरण कहलाता है। आईपीसी की धारा 107 के साथ पढ़ी गई धारा 306 को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि, आत्महत्या या उकसावे का अपराध बनाने के लिए, आवश्यक सबूत यह है कि अपराधी या तो पीड़ित को आत्महत्या के लिए उकसा रहा है या खुद इसमें शामिल है। आत्महत्या करने के लिए दूसरों के साथ साजिश रची गई है, या जानबूझकर आत्महत्या में सहायता की गई है या अवैध चूक की गई है।

25. वर्तमान मामले में, निश्चित रूप से, पत्नी की शादी के कुछ महीने बाद मृत्यु हो गई और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के तहत अनुमान लगाया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए इस प्रकार हैः-

> "113 ए. एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के बारे में धारणा- जब सवाल यह है कि क्या एक महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने उकसाया था और यह दिखाया गया है

> कि उसने सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी उसकी शादी की तारीख से वर्षों और उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने उसके साथ क्रूरता की है, तो अदालत मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मान सकती है कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के रिश्तेदार द्वारा उकसाई गई थी।"

26. हमारा विचार है कि केवल यह तथ्य कि यदि एक विवाहित महिला अपनी शादी के सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या कर लेती है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के तहत अनुमान स्वचालित रूप से लागू नहीं होगा। विधायी आदेश यह है कि जहां एक महिला अपनी शादी के सात साल के भीतर आत्महत्या कर लेती है और यह दिखाया जाता है कि उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने उसके साथ क्रूरता की है, तो आईपीसी की धारा 498-ए के तहत परिभाषित अनुमान लगाया जा सकता है। मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी आत्महत्या को उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार द्वारा उकसाया गया है। शब्द ''अदालत मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मान सकती है कि ऐसी आत्महत्या के लिए उसके पति ने उकसाया था'' यह संकेत देगा कि यह धारणा विवेकाधीन है। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, हमने पहले ही संकेत दिया है कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने में सफल नहीं हुआ है कि दहेज की मांग थी,

न ही नीचे के न्यायालयों द्वारा अपनाए गए तर्क एक अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त होंगे ताकि धारा के तहत आ सके । साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए . इस संबंध में, हम हंस राज बनाम हरियाणा राज्य (2004) 12 एससीसी 257 में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए और धारा 306 , 107 , 498 ए के दायरे की परीक्षा की है। यह माना गया कि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के विपरीत, केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए में वर्णित परिस्थितियों के सबूत पर कानून के संचालन से वैधानिक धारणा उत्पन्न नहीं होती है। इस न्यायालय ने माना कि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के तहत, अभियोजन पक्ष को पहले यह स्थापित करना होगा कि संबंधित महिला ने अपनी शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और उसके पति ने उसके साथ क्रूरता की थी । भले ही वे तथ्य स्थापित हों, अदालत यह मानने के लिए बाध्य नहीं है कि आत्महत्या के लिए उसके पति ने उकसाया है। इसलिए, धारा 113 ए न्यायालय को मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी धारणा बनाने का विवेक देती है, जिसका अर्थ है कि जहां आईपीसी की धारा 498-ए में क्रूरता शब्द के अर्थ के संबंध में आरोप क्रूरता का है, वह उस क्रूरता की प्रकृति पर विचार कर सकता है जिसके अधीन महिला थी।

27. हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई मामले की परिस्थितियां यह मानने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त हैं कि आरोपी ने अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया था और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के तहत गिनाई गई परिस्थितियां भी संतुष्ट नहीं हैं। पिनाकिन महिपात्रे रावल बनाम गुजरात राज्य (2013) 10 एससीसी 48 में , इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के दायरे की परीक्षा की है , जिसमें इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को दोहराया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए का विधायी आदेश है यदि कोई महिला अपनी शादी के सात साल के भीतर आत्महत्या कर लेती है और यह दिखाया जाता है कि उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार ने आईपीसी की धारा 498-ए में परिभाषित अनुमान के अनुसार उसके साथ क्रूरता की है, तो अदालत इसे ध्यान में रखते हुए यह मान सकती है । मामले की अन्य सभी परिस्थितियों में, ऐसी आत्महत्या को पति या ऐसे व्यक्ति द्वारा उकसाया गया था। न्यायालय ने माना कि, हालांकि एक अनुमान लगाया जा सकता है, यह साबित करने का भार कि आईपीसी की धारा 498-ए के तहत आरोपी ने ऐसा अपराध किया है , अभियोजन पक्ष पर है। न्यायालय ने कहा कि इस तथ्य को स्थापित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है कि मृतका ने आत्महत्या की और आरोपी ने आत्महत्या के लिए उकसाया। मौजूदा मामले में, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह आकस्मिक मौत थी या मृतका ने आत्महत्या की थी।

28. हमारे पास निम्नलिखित कारणों से यह मानने का हर कारण है कि, मौजूदा मामले में, मृत्यु आकस्मिक थीः-

- हालांकि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान में यह साबित नहीं हुआ है, लेकिन साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि मृतका पिछले तीन साल यानी घटना की तारीख 15.3.1993 से पहले से मिर्गी से पीड़ित थी। यह तथ्य डॉ. कुलदीप के साक्ष्य से पुष्ट होता है, जिनकी परीक्षा डीडब्ल्यु 1 के रूप में की गई थी। उन्होंने बताया कि मृतका मिर्गी से पीड़ित था और 23.12.1992 से 2.4.1993 तक कुलदीप अस्पताल, अंबाला शहर में उसका इलाज चल रही थी। विचारण न्यायालय ने उनके साक्ष्य को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि डॉ. कुलदीप मनोचिकित्सक नहीं थे। गौरतलब है कि मिर्गी कोई मनोचिकित्सक की समस्या नहीं है। यह तंत्रिका तंत्र की बीमारी है और एक एमडी (मेडिसिन) मिर्गी के रोगी का इलाज कर सकता है। डीडब्ल्यु 1 के सबूतों को दरकिनार करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क को कायम नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, चूँकि वह मिर्गी से पीड़ित थी, इसलिए आकस्मिक मृत्यु की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जाहिर है, वह रसोई में थी और हो सकता है, खाना पकाने के दौरान उसे मिर्गी के लक्षण आए हों और वह गैस स्टोव पर गिर गई हो और आग की चपेट में आ गई हो, जिससे उसकी मौत हो गई।

- मामले के परीक्षा अधिकारी, डीडब्ल्यू 2, एएसआई राम मोहन ने बताया कि उन्होंने मृतका के बयान दर्ज किए थे, जिसमें उसने कहा था कि वह घटना से पहले पिछले तीन वर्षों से मिर्गी से पीड़ित थी और 15.9.1993 को वह मिर्गी से पीड़ित थी। चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी उसे दौरा पड़ा और वह चूल्हे पर गिर गई और आग की चपेट में आ गई। उन्होंने उस समय यह भी बताया था कि उनके पति करनाल के मधुबन में ड्यूटी पर थे। हमारे विचार में, मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में डीडब्ल्यु 2 के साक्ष्य की विवेचना की जानी चाहिए।

29. मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अभियोजन अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए और धारा 306 के तहत अपराध स्थापित करने में सफल नहीं हुआ है। नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई सजा को रद्द कर दिया जाता है।

विभूति भूषण बोस

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री राजेश्वर विश्नोई (आर.जे.एस.), अजमेर द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।